# एनडीआईएस अभ्यास मानक (प्रैक्टिस स्टैंडर्ड) और मेरा प्रदाता

**NDIS अभ्यास मानक ऑस्ट्रेलिया में विकलांग लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सहायता और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए विकसित दिशानिर्देशों का एक समूह है।**

**ये मानक एनडीआईएस प्रदाताओं के लिए सुरक्षित, प्रभावी और सम्मानजनक देखभाल प्रदान करने की अपेक्षाओं को रेखांकित करते हैं।**

**आपातकालीन और आपदा प्रबंधन अभ्यास** इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एनडीआईएस प्रतिभागियों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए एनडीआईएस प्रदाताओं को आपात स्थितियों और आपदाओं के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, इनपर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उनसे कैसे उबरना चाहिए। इस मानक का पालन करके, एनडीआईएस प्रदाता अपने प्रतिभागियों की बेहतर सहायता कर सकते हैं और आत्मविश्वास एवं सुरक्षा के साथ चुनौतीपूर्ण समय से गुजरने में उनकी मदद कर सकते हैं।

## आपातकालीन और आपदा प्रबंधन क्या है?

आपातकालीन और आपदा प्रबंधन का अर्थ है ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना जो लोगों या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन घटनाओं में बाढ़ या बुशफायर जैसी प्राकृतिक आपदाएं, या COVID-19 जैसी महामारी शामिल हो सकती हैं।

## एनडीआईएस प्रतिभागियों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

विकलांग लोगों को आपात स्थितियों के दौरान अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि एनडीआईएस प्रदाताओं के पास इन समयावधियों के दौरान प्रतिभागियों को सुरक्षित और समर्थित रखने के लिए योजनाएं हैं।

## मेरे एनडीआईएस प्रदाता को क्या करना होगा?

**एनडीआईएस प्रदाताओं को निम्नलिखित करना होगा:**

1. **खतरों की जाँच करना: इसे ख़तरे का आकलन करना कहते हैं।**

एनडीआईएस प्रदाताओं को उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जो लोगों - एनडीआईएस प्रतिभागियों और उनके कर्मचारियों - को चोट पहुंचा सकती हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ वे काम करते हैं। इसमें बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले खतरे शामिल हो सकते हैं, इनमें इन प्राकृतिक आपदाओं के होने पर उन व्यक्तिगत प्रतिभागियों को पेश आने वाले खतरे भी शामिल हैं।

उन्हें इस बारे में योजनाएँ बनानी चाहिए कि वे जहाँ भी संभव हो, वे इन स्थितियों से कैसे बचाव करेंगे, या यदि ये स्थितियाँ घटित हो जाती हैं तो वे प्रंबधन कैसे करेंगे,

उन्हें नियमित रूप से इन खतरों की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी योजनाओं को अपडेट करना चाहिए।

1. **आपात स्थितियों के लिए योजनाएँ बनाएँ: इसे आपातकालीन और आपदा प्रबंधन तैयारी कहा जाता है।**

एनडीआईएस प्रदाताओं को निम्नलिखित लिखना चाहिए:

* अगर आग लगने या बाढ़ आने जैसी कोई घटना होती है, तो क्या करना है,
* आपात स्थिति या आपदा होने पर वे लोगों की मदद कैसे करेंगे, और
* इन स्थितियों के समाप्त होने पर वे लोगों की मदद कैसे करेंगे।

एनडीआईएस प्रदाताओं के पास इस बारे में योजनाएँ होनी आवश्यक हैं कि आपात स्थितियों के दौरान क्या करना है। इन योजनाओं को विभिन्न परिदृश्यों (परिस्थितियों) को शामिल करना चाहिए, जैसे कि निकासी (स्थान खाली करके जाने की) प्रक्रिया और संचार कार्यनीतियाँ।

योजनाएँ ऐसे प्रारूपों (फॉर्मेट्स) में होनी चाहिए जो स्पष्ट हों और समझने में आसान हों।

1. **व्यक्तियों का सहयोग करते रहने की योजनाएँ बनाएं: इसे सहयोग की निरंतरता कहा जाता है**

एनडीआईएस प्रदाताओं को एनडीआईएस प्रतिभागियों से इस बारे में बात करनी चाहिए कि वे कैसे सुरक्षित रहेंगे, और आग लगने या बाढ़ आने जैसी कोई घटना होने पर वे कैसे अपनी सहायता किए जाना चाहते हैं।

इन व्यवस्थाओं को लिखा जाना चाहिए। एनडीआईएस प्रदाताओं को यह शामिल करना होगा कि वे किसी आपात स्थिति या आपदा के दौरान आपकी सहायता कैसे करते रहेंगे - तब भी जब हालात कठिन हों - साथ ही बाद में जब परिस्थितियों काबू में आ रही हों।

यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए कि इसमें अप-टू-डेट जानकारी शामिल है जैसे कि आपके आपातकालीन संपर्क के लिए लोग, आपके द्वारा ली जाने वाली दवा, और कोई अतिरिक्त सहायता जिसकी आपको किसी घटना के होने पर आवश्यकता हो सकती है।

1. **लोगों से बात करें: इसे सलाह-मशविरा कहा जाता है।**

एनडीआईएस प्रदाताओं को योजना बनाने के काम में एनडीआईएस प्रतिभागियों और कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए, और साथ ही आपात स्थिति या आपदा के दौरान सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए।

इसका यह अर्थ है कि आपके पास अपने एनडीआईएस प्रदाता की आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजना पर फीडबैक (प्रतिक्रिया) देने का अवसर होना चाहिए

संचार करने के तरीके ऐसे प्रारूपों (फॉर्मेट्स) में होने चाहिए जिन्हें एनडीआईएस प्रतिभागी और कर्मचारी समझ सकें।

1. **कर्मचारियों और प्रतिभागियों को सिखाएं: इसे प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कहा जाता है।**

एनडीआईएस प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी को यह पता है कि आपात स्थिति में क्या करना है।

कर्मचारियों को आपातकालीन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसमें शामिल है:

* यदि संभव हो तो खतरे से कैसे बचना है,
* आपात स्थितियों के दौरान व्यक्तिगत प्रतिभागियों की सहायता कैसे करनी है, और
* किसी ऐसे विशेष उपकरण का उपयोग कैसे करना है जो मदद कर सकता है - जैसे कि महामारी के दौरान दस्ताने और मास्क।

प्रतिभागियों को यह भी शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि आपात स्थितियों के दौरान क्या करना है और उनके एनडीआईएस प्रदाता उनकी सहायता कैसे करेंगे।

1. **बेहतर बनें: इसे निरंतर सुधार करना कहते हैं**

एनडीआईएस प्रदाताओं को सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन योजनाओं का अभ्यास और इनमें सुधार करते रहना चाहिए।

उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा और परीक्षण करना चाहिए कि वे प्रभावी हैं।

समय के साथ-साथ इन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिभागियों और कर्मचारियों की फीडबैक (प्रतिक्रिया) का उपयोग किया जाना चाहिए, खासकर आपात स्थिति या आपदा होने के बाद, ताकि हर कोई सीख सके और अगली बार चीजों को बेहतर तरीके से कर सके।

## क्या सभी एनडीआईएस प्रदाताओं को एक जैसी चीज़ें करनी होती हैं?

एनडीआईएस प्रदाता अलग-अलग रूपों और आकारों के होते हैं, और वे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए, यह समझ में आता है कि जिस तरह से वे एनडीआईएस अभ्यास मानकों को पूरा करते हैं वह भी अलग-अलग हो सकते हैं।

जब एनडीआईएस प्रदाता ख़तरे का आकलन करते हैं, तो वे यह विचार करते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और सभी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कितना कुछ करने की आवश्यकता है। वे सोचते हैं कि कुछ बुरा होने की कितनी संभावना है और इसके लिए तैयारी करने हेतु उन्हें क्या करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, वे एक छोटी बाढ़ की तुलना में एक बड़ी बाढ़ की तैयारी करने के लिए और अधिक काम कर सकते हैं। वे ऐसी योजनाएँ बनाते हैं जो स्थिति के अनुकूल होती हैं। यह ऐसा फैसला लेने जैसा है कि अलग-अलग मौसम के लिए किस तरह के कपड़े पहनने हैं। अगर केवल थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो आप छाता ले जा सकते/ती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा तूफान आने वाला है, तो आपको रेनकोट, जूते और यहां तक कि वाटरप्रूफ बैग की भी आवश्यकता हो सकती है।

इसे आनुपातिक जोखिम कहा जाता है।

एनडीआईएस प्रदाता ऐसा कैसे करते हैं, इसे प्रभावित करने वाली स्थितियों में शामिल हैं - उनके संगठन का आकार, उनके द्वारा पेश की जाने वाली एनडीआईएस सहायता के प्रकार, और आप - एनडीआईएस प्रतिभागी।

**एनडीआईएस प्रदाताओं को प्रत्येक व्यक्ति की इन पसंदों का सम्मान करते हुए सभी को सुरक्षित रखने के लिए सही संतुलन खोजना होगा कि वह व्यक्ति सहायता कैसे पाना चाहता है।**

**दो एनडीआईएस प्रदाताओं की कल्पना करें।**

प्रदाता 1 एक छोटा स्थानीय संगठन है जो एक छोटे से शहर में कुछ एनडीआईएस प्रतिभागियों को चिकित्सा (थेरेपी) सहायता की पेशकश करता है।

वे सभी लोग जिनकी वे सहायता करते हैं, वे समुदाय में स्वतंत्र रूप से या दोस्तों या परिवार के साथ रहते हैं।

प्रदाता 1 के पास आपातकालीन संपर्कों की सूची वाली एक सरल आपातकालीन योजना है।

उनके कर्मचारियों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और संक्रमण नियंत्रण प्रशिक्षण मिला है।

उन्होंने अपने प्रत्येक एनडीआईएस प्रतिभागियों से इस बारे में बात की है कि आग लगने या बाढ़ आने जैसे स्थिति होने पर यदि वे चिकित्सा (थेरेपी) प्रदान नहीं कर सकते हैं तो वे क्या करेंगे।

उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी के सेवा समझौते में इन व्यवस्थाओं का दस्तावेजीकरण किया।

प्रत्येक वर्ष वे यह जांच करते हैं कि उनके प्रतिभागियों के संपर्क विवरण ठीक हैं, और वे अभी भी चर्चा की गई सहायता व्यवस्थाओं से खुश हैं।

प्रत्येक वर्ष जब वे अपने खतरा आकलन और संगठनात्मक आपातकालीन प्रबंधन योजना की समीक्षा करते हैं तो वे अपने प्रतिभागियों को यह पूछने के लिए एक पत्र भेजते हैं कि क्या उनकी कोई फीडबैक (प्रतिक्रिया) है।

प्रदाता 2 एक बड़ा राष्ट्रीय संगठन है जो कई राज्यों में सैकड़ों प्रतिभागियों की सहायता करता है और आवास सहायता के साथ-साथ सामुदायिक सहायता भी प्रदान करता है।

उनके पास अपने संगठन के लिए एक आपातकालीन और आपदा प्रबंधन योजना है, साथ ही उनके द्वारा संचालन की जाने वाली प्रत्येक आवास सेवाओं के लिए व्यक्तिगत योजनाएं भी हैं।

प्रदाता 2 के पास अपनी सभी सेवाओं में कर्मचारियों और प्रतिभागियों के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले अभ्यास (ड्रिल्स) हैं।

जिन प्रतिभागियों की वे अपनी आवास सेवाओं में सहायता करते हैं, उन सभी के पास एक व्यक्तिगत आपातकालीन प्रबंधन योजना है।

प्रदाता 2 से सामुदायिक सहायता पाने वाले कुछ प्रतिभागियों के पास पहले से ही किसी अन्य NDIS प्रदाता के साथ योजनाएँ हैं। प्रदाता 2 ने उस योजना में शामिल होने के लिए निवेदन किया है - बाढ़ आने या आग लगने जैसी कोई घटना होने पर वे उन प्रतिभागियों की सहायता करते रहने के लिए क्या करेंगे।

प्रदाता 2 ने हर साल उनके द्वारा समीक्षा किए जाने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के सेवा समझौते में इसे दस्तावेजी रूप दिया है कि क्या लोगों के पास एक व्यक्तिगत योजना है या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं।

वर्ष में एक बार, प्रदाता 2 अपने प्रतिभागियों को सभी संगठनात्मक योजनाओं, नीतियों और कार्यविधियों के बारे में फीडबैक (प्रतिक्रिया) देने के तरीके प्रदान करता है, इनमें आपातकालीन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएँ, नीतियाँ और कार्यविधियाँ शामिल हैं।

**प्रत्येक प्रदाता अपने आकार और उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रकारों के आधार पर अपनी तैयारियों को समायोजित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अपने आप को या अपने प्रतिभागियों को ज़रूरत से बहुत ज्यादा जानकारी दिए बिना वह आपात स्थितियों के लिए तैयार हैं।**

एनडीआईएस गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग के अनुदान कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित